पत्र संख्या- 2/अरा0स्था0-01-36/2013
बिहार सरकार
वित्त विभाग,

/वि0,पटना, दिनांक-

प्रेषक,

राजा राम,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सचिव,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
सूचना भवन, बिहार, पटना ।

विषयः- **समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या- 10000 दिनांक- 10.07.2015 एवं पत्र संख्या- 3815 दिनांक- 11.03.2016 के निहित प्रावधान के तहत वित्त विभाग में सहायक के पद पर संविदा आधारित नियोजन हेतु सेवानिवृत्त सचिवालय सहायकों से आवेदन आमंत्रित किए जाने के लिए विज्ञापन प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया है ।

अतः विज्ञापन संबंधी प्रारूप इसकी सात हार्ड कॉपी एवं सीडी संलग्न करते हुए अनुरोध है कि पटना से प्रकाशित होने वाले प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराने की कृपा की जाए ।

अनु0- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
ह0/-
(राजा राम)
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक 6577 /वि0,पटना,दिनांक 19.8.16

प्रतिलिपि- सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार,पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. अनुरोध है कि वित्त विभाग के बेवसाइट http://www.finance.bih.nic.in/ पर संलग्न विज्ञापन प्रकाशित किया जाए ।

18/08/2016
सरकार के उप सचिव ।

बिहार सरकार
वित्त विभाग
सचिवालय सहायक के पद पर सेवानिवृत्त सचिवालय सहायकों का संविदा आधारित नियोजन सूचना।

वित्त विभाग, बिहार, पटना में सचिवालय सहायकों के रिक्त पदों के विरूद्ध तत्काल कुल-30(तीस) पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-10000, दिनांक-10.07.2015 एवं पत्र संख्या-3815, दिनांक-11.03.2016 के निहित प्रावधान के तहत बिहार सचिवालय सेवा के इच्छुक सेवानिवृत्त (बिहार सचिवालय सेवा) सहायकों से निम्नांकित शर्तों पर आवेदन आमंत्रित किए जाते है :-

1. सचिवालय सहायक के पद पर संविदा के आधार पर चयन प्रथम चरण में दो वर्षो अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक-एक वर्ष के लिए नियोजन अवधि का विस्तार उनके कार्यो की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा।

2. नियोजित कर्मी द्वारा किये जा रहे कार्यो की समीक्षा समय-समय पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में उनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।

3. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-10000, दिनांक-10.07.2015 के आलोक में मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

4. अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेगे और ना ही सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार होंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात सरकारी सेवा में नियमितिकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

5. नियोजन हेतु सरकार के आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा। चयन के लिए आदर्श रोस्टर चलेगा जो बिन्दु एक से प्रारंभ होगा।

6. आवेदक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि

क) उनके विरूद्ध कोई निगरानी का मामला नहीं चल रहा है।
ख) उनके विरूद्ध कोई विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं है।
ग) कभी किसी मामले में दंडित नही है।
घ) उनके विरूद्ध कोई गंभीर आरोप/आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।

7. नियोजन के समय स्वस्थ्य होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।

8. चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर चयनित कर्मियों को वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा नियोजित एवं पदस्थापित किया जायेगा।

9. प्राप्त आवेदन के आधार पर नियोजन की कार्रवाई के दौरान सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3815, दिनांक-11.03.2016 में निर्धारित मापदंडों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।.

10. आरक्षण कोटि के विरूद्ध नियोजन की स्थिति में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति एवं पी.पी.ओ. की स्वअभिप्रमाणित प्रति एवं अद्यतन पासपोर्ट साईज फोटो के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

11. इच्छुक सेवानिवृत्त सहायक अपना पूर्ण विवरण विहित प्रपत्र(संलग्न) में हाथों-हाथ या निबंधित डाक के माध्यम से दिनांक-10.09.2016 के 05.00 बजे अप0 तक वित्त विभाग, पुराना सचिवालय, पटना-15 में जमा करेंगे। संबंधित सूचना वित्त विभाग के बेवसाईट http://www.finance.bih.nic.in/ पर देखा जा सकता है।

18/08/2016
(राजा राम)
उप सचिव, वित्त विभाग।

संविदा आधारित सचिवालय सहायक के पद पर नियोजन हेतु आवेदन प्रपत्र

1.	सेवानिवृत्त सहायक का नाम – (मोबाइल नं0)	
2.	अभ्यर्थी के पिता/पति का नाम–	
3.	जन्म तिथि–	
4.	वर्त्तमान पता–	
5.	स्थायी पता–	
6.	नियुक्ति तिथि–	
7.	सेवानिवृत्ति की तिथि–	
8.	विभाग का नाम जहाँ से अभ्यर्थी सेवानिवृत्त हुआ है –	
9.	विभिन्न विभागों में अलग–अलग कार्यानुभव की अवधि–	
10.	अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक वाद/निगरानी वाद/विभागीय कार्यवाही लंबित है या नहीं ?	
11.	क्या अभ्यर्थी आरक्षण की श्रेणी में आता है यदि हाँ तो कोटि–	

तिथि : ....

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान : ....